भीम
BHIM
भारत इंटरफेस फॉर मनी

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांकः प.4(16)नविवि/II/2022 पार्ट **जयपुर, दिनांकः 20 OCT 2022**

आदेश

राजस्थान अभियांत्रिकी सेवा (भवन एवं पथ शाखा) नियम, 1973(उक्त नियमों को नगरीय विकास विभाग (न्यास सेवा) के अभियन्ताओं पर आज्ञा दिनांक प. 1(10)नविआ/1981 दिनांक 28.02.1997 द्वारा प्रभावी किया गया है) के नियमों के अन्तर्गत इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 08.04.2022 द्वारा नगरीय विकास विभाग सेवा (न्यास सेवा) के कनिष्ठ अभियन्ताओं को सहायक अभियन्ता के पद पर 06 माह अथवा आगामी विभागीय नियमित पदोन्नति चयन समिति की बैठक होने तक जो भी पहले हो तक के लिये (एल–14) आवश्यक/अस्थाई (तदर्थ) आधार पर पदोन्नत किया गया था। इन अधिकारियों की आवश्यक अस्थाई पदोन्नति अवधि को 06 माह (दिनांक 08.10.2022 से 07.04.2023 तक) अथवा नियमित पदोन्नति आदेश जो भी पहले हो तक के लिए बढाया जाता है।

पदोन्नति के संबंध में शेष शर्तें पूर्व आदेश में वर्णित अनुसार यथावत रहेंगी। उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(अवधेश सिंह)
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
4. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण, जयपुर/जोधपुर/अजमेर।
5. परियोजना निदेशक, आरयूआईडीपी, जयपुर।
6. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस आदेश को नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
7. सचिव, समस्त नगर विकास न्यास, ...।
8. संबंधित अभियन्तागणों को विभागीय वेबसाईट के माध्यम से।
9. रक्षित/निजी पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

rsonwal@order